धन-कर

धारा 18 का संशोधन।

106. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 की उपधारा (1) में,— 1957 का 27

(क) स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या आयुक्त" शब्द 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 3 में, "जो इस अधिनियम के अधीन पहले निर्धारित नहीं किया गया है," शब्दों का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

धारा 18ग का संशोधन।

107. धन-कर अधिनियम की धारा 18ग में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 27 के अधीन किसी निर्देश पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष" शब्दों और अंकों के पश्चात् "अथवा धारा 27क के अधीन अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "धारा 27 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 27क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ख) में, "धारा 27 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, " धारा 27क के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 22घ का संशोधन।

108. धन-कर अधिनियम की धारा 22घ में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में, "समझौता आयोग, जहां संभव हो, आदेश द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समझौता आयोग उस मास के, जिसमें धारा 22ग के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) समझौता आयोग, जहां संभव हो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक आवेदन में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की गई थी, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 22जक का लोप।

109. धन-कर अधिनियम की धारा 22जक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 34क का संशोधन।

110. धन-कर अधिनियम की धारा 34क में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (3) में "नौ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "आठ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4ख) के खंड (क) में, "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दो बटा तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।